**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 1098**

**दिनांक 19 दिसम्‍बर, 2018**

**पेट्रोलियम डीलर कर्मचारियों के वैयक्तिक**

**विवरणों का संग्रहण किया जाना**

**1098. श्री बिनोय विश्‍वम:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के माध्यम से पेट्रोलियम डीलर से कर्मचारियों की जाति, धर्म तथा निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा साझा करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने की दिशा में सरकार के कदमके क्या कारण हैं, पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ताओं को दीगई अधिसूचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने ब्यौरे सांझे न करने की स्थिति में तेल की आपूर्ति रोकने का प्रस्ताव किया है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ख): तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि तेल और गैस क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्‍वावधान में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) की स्‍थापना की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्‍य भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में कौशल विकास क्रियाकलापों को निष्‍पादित करना तथा एक दीर्घकालिक तथा समग्र आधार पर परिमाण तथा गुणवत्‍ता में उचित प्रकार से प्रशिक्षित जनशक्‍ति की संपूर्ण मूल्‍य श्रृंखला की मांग को पूरा करना है।  एचएससीसी ने सूचित किया है कि अपने खुदरा बिक्री केन्‍द्र सहायकों, एलपीजी डिलीवरी कार्मिकों तथा पूर्व शिक्षण की स्‍वीकृति के तहत टैंक लॉरी  ड्राइवरों के पूर्व शिक्षण का आकलन और अधिप्रमाणन उत्‍तम कोटि के नियोक्‍ताओं द्वारा किया जाना अपेक्षित है।  तदनुसार, अभिज्ञात सभी नियोक्‍ता निर्धारकों से अनुरोध किया गया कि एचएसएससी द्वारा परिचालित नेशनल स्‍किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी), कौशल विकास और उद्ययमशीलता मंत्रालय के प्रपत्र के अनुसार आंकड़े एकत्रित करें।

(ग): ऐसा कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

\*\*\*\*